

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर



मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2013

स्थान : सेण्टर फॉर एकेडमिक्स

समय : मध्याह्न 12:00 बजे

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 03.12.2013 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये -

1.	प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	श्री आई०सी० द्विवेदी, (से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैंक के पास, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	मा० न्यायमूर्ति श्री खेमकरन (से.नि.), 1625, सेक्टर-आई, आशियाना चौराहा के पास, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ।	सदस्य
4.	डॉ० ए०ए० स० भट्टनागर, अधिष्ठाता, विधि संकाय, वी०ए०ए०स०डी० कालेज, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
6.	प्रो० पी०के० कुश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
7.	डॉ० संजय स्वर्णकार, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
8.	डॉ० सन्दीप कुमार सिंह, उपाचार्य, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग	सदस्य
9.	डा० सुधान्शु पाण्ड्या, उपाचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
10.	डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डॉ० मोहकम सिंह, प्राचार्य, के०के० कालेज, इटावा	सदस्य
12.	डॉ० गिरिजेश लाल श्रीवास्तव, प्राचार्य, अर्मापुर पी०जी० कालेज, कानपुर	सदस्य
13.	श्रीमती उमा सक्सेना, संगीत विभाग, महिला महाविद्यालय, किंदवईनगर, कानपुर	सदस्य
14.	डॉ० ए० साराभाई, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर	सदस्य
15.	श्री धर्मन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
16.	श्री सत्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने माननीय कुलाधिपति जी द्वारा पुनः नामित कार्यपरिषद के सदस्य माननीय प्रो. महेन्द्र सिंह सोढा एवं श्री आई.सी. द्विवेदी तथा परिषद के नव नियुक्त सदस्यों सर्वश्री डॉ. नवनीत कुमार, प्रो. पी.के. कुश, डॉ. संदीप कुमार सिंह, डॉ. सुधान्शु पाण्ड्या, डॉ. मोहकम सिंह, डॉ. रेखा शर्मा, डॉ.(श्रीमती) उमा सक्सेना एवं डॉ. ए. साराभाई का परिचय अन्य सदस्यों से कराते हुये स्वागत किया तथा अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके सभी पूर्व सदस्यों सर्वश्री डॉ. वेद प्रकाश अग्रवाल, प्रो. सुभाष चन्द्र अग्रवाल, डॉ. अंशु यादव, डॉ. नीरज कुमार सिंह, डॉ. एस.पी. शाक्य, डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. एन.एन.सी. अवस्थी को कार्यपरिषद की बैठकों में उनके योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार, कुलपति का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०-१ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 02.02.2013 तथा आपात बैठक दिनांक: 15.03.2013, आपात बैठक दिनांक: 22.05.2013 एवं आपात बैठक दिनांक: 29.06.2013 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.02.2013 तथा आपात बैठक दिनांक 15.03.2013, आपात बैठक दिनांक 22.05.2013 एवं आपात बैठक दिनांक: 29.06.2013 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

माननीय सदस्य श्री आई.सी. द्विवेदी ने इंगित किया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.02.2013 के कार्यवृत्त में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय सम्बन्धी प्रस्तर 'क' पर अंकित निर्णय सम्बन्धित समिति की आख्यानुसार आंशिक रूप से अंकित किया है। अध्यक्ष महोदय ने उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित समिति के सदस्य डॉ. सुधान्शु पाण्डिया से अनुरोध किया कि सम्बन्धित निर्णय को पुनः देख लिया जाय।

मद सं०-२

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक: 18.09.2013 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक: 18.09.2013 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०-३

एकेडमिक काउन्सिल की बैठक दिनांक: 09.10.2013 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद द्वारा एकेडमिक काउन्सिल की बैठक दिनांक: 09.10.2013 के कार्यवृत्त पर विचार किया गया। माननीय सदस्य श्री मुनेश कुमार तथा डॉ. जी.एल. श्रीवास्तव द्वारा एकेडमिक काउन्सिल द्वारा पारित पी-एच.डी. अध्यादेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर टंकण सम्बन्धी सुधार किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

बिन्दु संख्या	उल्लिखित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4.10	The Test shall it may be held in Government Degree College.	The Test shall....., it may be held in Government Degree College / Government aided degree college
6.04	The Head of Department /Conveners for subjects shall prepare the time table Dean of Faculty.	The Head of Department in case of University /Conveners for subjects shall prepare the time table Dean of Faculty.
8.02	Regular whole-time teachers in the subject concerned having at least one research publication or two research papers Ph.D. Degree, with .	Regular whole-time teachers in the subject concerned having at least two research publication or two research papers Ph.D. Degree, with .
10.02 (iv)	The Convener shall preside and conduct decision.	The Head of Department in case of University / Convener shall preside and conduct decision.

माननीय सदस्य डॉ. ए.एस. भटनागर ने अवगत कराया कि उक्त त्रुटियों में सुधार की चर्चा विद्या परिषद की बैठक में भी की गई जिसमें वह स्वयं उपस्थित थे।

सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार इंगित टंकण सम्बन्धी सुधार किये जाने पर परिषद ने सहमति व्यक्त की तथा पी-एच.डी. अध्यादेश को सर्वसम्मति से टंकण की त्रुटियां सुधार करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद के सदस्यों को अवगत कराया कि एकेडमिक काउन्सिल ने अपनी बैठक दिनांक 09.1.2013 की मद संख्या-३ पर सत्र 2013-14 से स्नातक स्तर के बी.ए., बी.एस-सी. तथा बी.काम. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा ओ.एम.आर. पद्धति से कराये जाने का निर्णय लिया है। परिषद ने सर्वसम्मति से विद्यापरिषद के उक्त निर्णय का स्वागत करते हुये सुझाव दिया कि नयी पद्धति को प्रारम्भ में सत्र 2013-14 से प्रयोग के तौर पर

स्नातक स्तर के 6 विषयों (समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं शिक्षाशास्त्र) के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा ओ.एम.आर. पर सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त निर्णय पर सम्बन्धित विषयों की पाठ्यक्रम समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कराते हुये विद्या परिषद से अनुमोदित कराकर पुनः कार्य परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय। प्रयोग सफल होने पर उक्त प्रक्रिया समस्त विषयों पर लागू की जाय।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के दो पाठ्यक्रमों की परीक्षा इस वर्ष से ऑन-लाइन कराने का निर्णय लिया है। प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य विषयों पर भी लागू किया जायेगा।

परिषद ने हर्ष ध्वनि से अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गयी सूचना का स्वागत किया तथा सर्वसम्मति से एकेडमिक काउन्सिल की बैठक दिनांक: 09.10.2013 के कार्यवृत्त पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का मत व्यक्त करते हुये विद्या परिषद के अन्य निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं०-४

उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त नवीन पाठ्यक्रमों एवं नवीन महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सम्बद्धता सम्बन्धी पृष्ठांकन आदेश से कार्य परिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सम्बद्धता सम्बन्धी पृष्ठांकन आदेश से संसूचित हुयी।

मद सं०-५

पदोन्नति आदेश संख्या—सी.एस.जे.एम.यू./सा.प्रशा./2560/2013 दिनांक 13.09.2013 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से पदोन्नति आदेश संख्या—सी.एस.जे.एम.यू./सा.प्रशा./2560/2013 दिनांक 13.09.2013 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं०-६

डा० वी०एन० पाल, रीडर एवं अन्य को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्य-परिषद के माननीय सदस्य, न्यायमूर्ति श्री खेमकरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। परिषद ने समिति के अन्य सदस्यों के रूप में माननीय श्री आई.सी. द्विवेदी, डॉ. ए.एस. भट्टाचार एवं वित्त अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य तथा सदस्य सचिव के रूप में उप-कुलसचिव प्रशासन हेतु स्वीकृति प्रदान की। वित्त अधिकारी महोदय ने परिषद को अवगत कराया कि समिति में लेखा अधिकारी उनके नामित सदस्य के रूप में प्रतिभागिता करेंगे।

मद सं०-७

माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या—39032/2013 डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2013 के अनुपालन में डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी की पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति की कार्यवाही पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण को आगामी बैठक के लिये स्थगित रखा जाय तथा प्रो. महेन्द्र सिंह सोढ़ा, माननीय सदस्य कार्यपरिषद की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाय क्योंकि डॉ. सुरेश चन्द्र द्विवेदी को प्रस्तावित पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रो. सोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के सम्बन्ध



में उन्हीं के द्वारा प्रकाश डाला जा सकता है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि पटल पर प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रकरण सम्बन्धी बिन्दुवार आख्या के साथ विभागीय प्रस्ताव एवं विकल्पों के साथ बैठक की कार्य-सूची के साथ सभी सदस्यों को पूर्व से सूचित किए जाने चाहिए। अतः भविष्य में पटल पर प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जाय।

मद सं०-८ श्री राजेश मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक के सेवानिवृत्ति के उपरान्त पदोन्नति के प्रकरण पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित विभाग की बिन्दुवार टिप्पणी/आख्या के साथ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई।

मद सं०-९ प्रो० ए०एल० जाटव, पूर्व आचार्य के वेतन संरक्षण पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित विभाग की बिन्दुवार टिप्पणी/आख्या के साथ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई।

मद सं०-१० कानपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिषद के पत्र दिनांक 17.04.2013 के बिन्दु संख्या-04, 05 व 06 पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की संदर्भित मांगों के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रभावी नवीनतम् शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करते हुये शासनादेशों को लागू कर दिया जाय।

मद सं०-११ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के पृष्ठांकन पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पृष्ठांकन किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं०-१२ ललित कला संस्थान, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर के छात्रों का प्रत्यावेदन दिनांक 02.09.2013, बैक पेपर की व्यवस्था एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा के सम्बन्ध में विचार।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से ललित कला संस्थान के छात्रों की इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अ आगामी दिनांक 23.12.2013 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दी जाने वाली पी-एच.डी., डी.लिट्. एवं डी.एस-सी. उपाधियों तथा दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने वाले पदकों की संसूचना।

परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आगामी दिनांक 23.12.2013 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दी जाने वाली पी-एच.डी. की कुल 229 उपाधियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने वाले पदकों की सूची को प्रस्तुत करते हुये अध्यक्ष महोदय ने परिषद को एम.एस.डब्ल्यू की छात्रा सुश्री स्वीटी वर्मा की आपत्तियों से अवगत कराया। विचारोपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सामाजिक विज्ञान प्रगति अध्ययन संकाय अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले कुलाधिपति कांस्य पदक एवं कुलपति स्वर्ण पदक को आगामी 28वें दीक्षान्त समारोह में स्थगित रखा जाय तथा प्रकरण को पदक निर्धारण समिति को सन्दर्भित किया जाय। उक्त निर्णय के साथ परिषद ने सर्वसम्मति से पदक निर्धारण समिति द्वारा निर्णीत तथा पटल पर प्रस्तुत अन्य पदकों की सूची को अनुमोदित किया।

ब मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के गठन हेतु चिकित्सा संकाय से चयनित डॉ. विनय कृष्ण का नाम मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को प्रेषित किये जाने की संसूचना।

परिषद विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के गठन हेतु चिकित्सा संकाय से चयनित डॉ. विनय कृष्ण का नाम मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी सूचना से संसूचित हुयी तथा परिषद ने सर्वसम्मति से डॉ. विनय कृष्ण के चयन का अनुमोदन प्रदान किया।

स महाविद्यालय के शिक्षकों के पदनामों के परिवर्तित पदनामों के सम्बन्ध में सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या—793/79—वि—1—13— 2(क)9—2013 दिनांक 24.10.2013 की संसूचना।

परिषद महाविद्यालय के शिक्षकों के पदनामों के परिवर्तित पदनामों के सम्बन्ध में सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या—793/79—वि—1—13— 2(क)9—2013 दिनांक 24.10.2013 से संसूचित हुयी तथा तदनुसार परिषद ने सर्वसम्मति से परिवर्तित पदनामों को लागू किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

द विश्वविद्यालय में एल्यूमनाई एसोसिएशन (पूर्व छात्र—संगमन) की स्थापना की संसूचना।

परिषद, विश्वविद्यालय में एल्यूमनाई एसोसिएशन (पूर्व छात्र—संगमन) की स्थापना से संसूचित हुयी एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की हर्ष ध्वानि से प्रसंशा की।

य परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2013 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2013 का अनुमोदन किया।

र विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर की गई अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किये जाने पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से प्रकरण को आगामी बैठक की मुख्य कार्यसूची में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक आख्या के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

ल श्रीमती ज्योति सिंह, कानपुर एवं श्री हरीश चन्द्र सिंह, सम्पादक अमर उजाला समाचार—पत्र, कानपुर द्वारा स्वर्ण पदक प्रायोजित किये जाने हेतु धनराशि निर्धारित किये जाने पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से श्रीमती ज्योति सिंह, 153, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, कानपुर द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण पदक तथा श्री हरीश चन्द्र सिंह, सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, कानपुर द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण पदक हेतु रु.1.0 लाख (एक लाख रुपये) प्रति पदक धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करके सम्बन्धित प्रस्तावकों के द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण पदकों को स्थापित कर वर्तमान दीक्षान्त समारोह—2013 से, धनराशि जमा हो जाने की स्थिति में, उक्त पदक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया।

व डॉ. नेहा अग्रवाल पुत्री डॉ. बी.डी. अग्रवाल तथा श्री सरबजीत सिंह जब्ल पुत्र श्री के.एस. जब्ल को वर्ष—2004 के गोल्ड मेडल दिये जाने की मांग पर विचार।

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वर्ष—2004 में स्वर्ण पदक अहर्ताधारी डॉ. नेहा अग्रवाल पुत्री डॉ. बी.डी. अग्रवाल (चिकित्सा संकाय) एवं श्री सरबजीत सिंह जब्ल पुत्र श्री के.एस. जब्ल, एल.एल.बी. (तृतीय वर्ष) हेतु निर्धारित स्वर्ण पदक प्रदान करने का निर्णय लिया।

श ऐसे महाविद्यालयों जिनकी सम्बद्धता की पूर्वानुमति शासन से नवम्बर, 2013 में प्राप्त हुई है, के छात्र—छात्राओं की परीक्षा कराये जाने पर विचार।

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से ऐसे महाविद्यालयों, जिनकी सम्बद्धता की पूर्वानुमति शासन से नवम्बर, 2013 में प्राप्त हुई है के छात्रों की परीक्षा अगस्त, 2014 में कराये जाने का निर्णय लिया गया।

ष अनानुमोदित पदों पर कार्यरत चालकों को ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से प्रकरण को आगामी बैठक की मुख्य कार्यसूची में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक आख्या के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

अन्त में माननीय कुलपति जी द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(सचिव/कार्यकारी हुसैन)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. अशोक कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष